

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म
पन्तनगर फार्म पोस्ट-पन्तनगर
जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263145

विश्वविद्यालय फार्म के एन खण्ड पूर्वी प्रक्षेत्र बेनी में स्थित मछली के तालाब को तीन वर्ष (माह जुलाई 2026 से जून 2029 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर दिये जाने हेतु निविदा।

अल्पकालीन निविदा-प्रपत्र

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	निविदा शुल्क ₹ 2000.00 प्रति निविदा+जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	:	दिनांक 27.06.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे से
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 06.07.2026 सांय 3.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 07.07.2026 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
	:	दिनांक 07.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे

क्र0सं0	विवरण	क्षेत्रफल है0	लाइसेंस शुल्क की अवधि	धनराशि
1	एन खण्ड, पूर्वी प्रक्षेत्र, बेनी में स्थित मछली के तालाब को माह जुलाई 2026 से जून 2029 तक की अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क पर दिया जाना	2.00	माह जुलाई 2026 से जून 2029 तक	अंको में ₹ शब्दों में ₹

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹बैंक ड्राफ्ट सं0...
.....दिनांक.....के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 सं0.....

दिनांक.....

धनराशि ₹

निविदाता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पिता/पति का नाम

ग्राम व पो0.....

तह0.....जनपद.....

पिन.....दूरभाष.....

आधार नं0

पैन नं0 मो0 नं0.....

निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के 'एन' खण्ड, बेनी स्थित 2.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में अवस्थित मछली तालाब को शुल्क पर दिये जाने हेतु

अल्पकालीन निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 07.07.2026 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी, जो दिनांक 07.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ ₹ 50,000.00 की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट, सवाधि जमा पत्र के साथ देय होगी। उक्त धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम से जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर निविदा में अधिकतम दरें प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम दरदाता द्वारा यदि निविदा वापस ली जाती है तो ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्तों में जमा करनी होगी, प्रथम किस्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का भुगतान स्वीकृत पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर करनी होगी एवं इसके साथ ही एक वर्ष छः माह बाद की द्वितीय किस्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) भी जमा कराना होगा।
4. यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा अपरिहार्य परिस्थितिवश किस्त का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो प्रारम्भ के 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 2.00 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किस्तों की देय विलम्ब शुल्क आगामी किस्त की धनराशि के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।
5. उक्त किस्तों की धनराशि के समय पर भुगतान हेतु पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 चैक किसी भी कारण से बाउन्स होने पर निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। किस्त की धनराशि का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा आर0टी0जी0एस0 अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। किसी भी दशा में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किस्तों की धनराशि किसी भी कारणवश जमा नहीं कराये जाने की दशा में उत्पन्न विवाद का निस्तारण माननीय कुलपति जी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक दशा में कुलपति, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं0 प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. तालाब की निविदा की अवधि माह जुलाई 2026 से जून 2029 तक की होगी। अनुबन्ध, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
8. सम्बन्धित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने के लिये डीजल पम्प/विद्युत पम्प की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
9. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा तथा दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराया जाना होगा।
11. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी भी प्रकार का कर यथा-जी0एस0टी0, स्टॉम्प ड्यूटी, ई0एस0आई0सी0 अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा वह उच्चतम निविदादाता द्वारा ही स्वयं जमा कराया जाना होगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित निविदा अथवा अनुबन्ध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं0 प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का होगा, जिसे दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। उक्त समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त माना जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 12 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य है।



निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर